9-5-18

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय उमरलाई जिला जैसलमेर

प्रार्थी तहसीलदार स्वयंसेवी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130, 131 व 136 भू राजस्व अधिनियम सामिल नियम 59, 60, 66 व 68 भू अधिलेख नियम 1970 इस आशय का प्रस्तुत किया कि दादावी हल्का द्वारा फाइल रकबीस संवत 2073 दौरान ग्राम गिरदावरी ग्राम उमरलाई जागीर में चालू रास्ते सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर कामे गये प्रकरण जिसमें राजस्व रेकर्ड तथा भवाकन्दी में अंकित भूमि के अतिक्रमण नहीं है। पुराने समय से रास्ता चालू हालत में मौजूद है तथा ग्राम महिलाएं इस रास्ते को आवागमन के उपयोग में ले रही है। भू-राजस्व रेकर्ड में दर्ज। रकबीस के निरीक्षण रिपोर्ट।

निष्प्रार्थी सर्व श्री अमरसिंह पुत्र गिरधारी सिंह, गजेन्द्र सिंह, भगवान सिंह, बाबूसिंह, भोमाराम सिंह पुत्र लेखू सिंह, रामपुरोहित वगैरह प्रार्थी नं. 6 व 7 रूप सिंह, बाबू सिंह एवं गंगाराम पुत्र मदनचन्द्र जाति सुथार ने प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्रार्थना का गलत होने से अस्वीकार है निष्प्रार्थीगण के समक्ष के से कोई चालू रास्ता सार्वजनिक रास्ता मौके पर नहीं है। गलत गिरदावरी फसल रकबीस संवत 2074 से रास्ते में रूप से काम लिया नहीं भूमि का हस्तान्तरण नहीं है तथा नियम 59, 60, 66 68 लागू नहीं होते हैं। उपरोक्त नियमों में नया रास्ता राजस्व रेकर्ड में शामिल करने का कोई प्रावधान है। तथा धारा 131 व 132 के प्रावधान लागू नहीं होते। तथा विशेष आपत्ति पेश कर जाहिर किया कि रास्ते की भूमि को जिस्म उनकी स्वीकारी को कठोर कदम कर गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का अधिकार नहीं है। यह अदालत के क्षेत्राधिकार में नहीं है। वास्ता 20 साल पुराना होने का कोई साक्ष्य सबूत नहीं है। तथा सड़क पर जाने हेतु दो रास्ते मौजूद है।

P.T.O.

अमरसिंह
गजेन्द्र सिंह
भगवान सिंह
बाबूसिंह
भोमाराम
बाबूसिंह
गंगाराम
गंगाराम

का मौके पर चलना प्रतीत है। अतः उक्त खातेदारों का कोई भू भाग सीमित का मार्ग छोड़ा गया विपक्षीगण की खातेदारी से सम्पूर्ण भू भाग पर काबिज होती रही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खसरे खतौनी की नकल खारिज किया जाने की मांग करते हैं।

6. आज केन्द्र उपखण्ड में प्रकरण ग्राम में पूर्व पक्ष की गवाही की आवश्यकता है कथन की राजस्व मौके पर नहीं चल रहा है। मौके पर दो रास्ते सड़क पर आ रहे हैं जो चल रहे हैं, विपक्षीगण की खातेदारी में पुराना रास्ता नहीं चल रहा है। प्रार्थना पत्र गलत पेश किया गया है।

अतः विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रमाण से प्रकरण ग्राम के पूर्व पक्ष के बाद एक नतीजा पर पहुंचे हैं कि विपक्षीगण की खातेदारी में रास्ता नहीं चल रहा है। तथा ग्राम के मुख्य सड़क पर जाने हेतु दो रास्ते महाने से ही चल रहे हैं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्याय संगत नहीं होने से खारिज किया जाता है। पश्चात प्रार्थना पत्र का कब्जा लगाया लगाया मुक्त करने निर्णय किया जाता है। कुछ न्यायालय में सुनाया गया मसौदा पढ़कर सुनाया तोहर दस्तखत है।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.. सिवाना